जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स मोडिया मानसर बजरी क्लस्टर परियोजना, क्लस्टर नम्बर 12–ई, प्लॉट नम्बर 23, 32, 22, 16, 17, 33, 18, 31, 20, 24, 19, 21 एवं 35, क्लस्टर क्षेत्रफल 16.2448 हैक्टेयर, क्लस्टर उत्पादन क्षमता 20,31,195 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 4, 5, 6, निकट ग्राम–मोडिया मानसर, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर की पर्यावरण स्वीकृती हेतु जनसुनवाई **ग्राम पंचायत भवन गजनेर, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **08.01.2025** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। उक्त खनन परियोजना खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर द्वारा प्रस्तावित है। यह जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि श्री रमेश गहलोत की उपस्थिति में आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन ईकाईयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खनन ईकाई का नाम	एम.एल. नम्बर	खनन ईकाई का क्षेत्रफल	खनन ईकाई की उत्पादन क्षमता
1.	**मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर**	**प्लॉट नम्बर 23**	**1.2496 हैक्टेयर**	**1,63,995 टी.पी.ए. (रोम)**
2.	**मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर**	**प्लॉट नम्बर 32**	**1.2496 हैक्टेयर**	**1,63,995 टी.पी.ए. (रोम)**
3.	**मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर**	**प्लॉट नम्बर 22**	**1.2496 हैक्टेयर**	**1,63,995 टी.पी.ए. (रोम)**
4.	**मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर**	**प्लॉट नम्बर 16**	**1.2496 हैक्टेयर**	**1,63,995 टी.पी.ए. (रोम)**
5.	**मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर**	**प्लॉट नम्बर 17**	**1.2496 हैक्टेयर**	**1,63,995 टी.पी.ए. (रोम)**
6.	**मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर**	**प्लॉट नम्बर 33**	**1.2496 हैक्टेयर**	**1,63,995 टी.पी.ए. (रोम)**
7.	**मैसर्स मनीष लोहिया**	**प्लॉट नम्बर 18**	**1.2496 हैक्टेयर**	**1,63,995 टी.पी.ए. (रोम)**
8.	**मैसर्स मनीष लोहिया**	**प्लॉट नम्बर 31**	**1.2496 हैक्टेयर**	**1,63,995 टी.पी.ए. (रोम)**
9.	**मैसर्स मनीष लोहिया**	**प्लॉट नम्बर 20**	**1.2496 हैक्टेयर**	**1,63,995 टी.पी.ए. (रोम)**
10	**मैसर्स कमल किशोर लोहिया**	**प्लॉट नम्बर 24**	**1.2496 हैक्टेयर**	**1,63,995 टी.पी.ए. (रोम)**
11	**मैसर्स कमल किशोर लोहिया**	**प्लॉट नम्बर 19**	**1.2496 हैक्टेयर**	**1,63,995 टी.पी.ए. (रोम)**

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

12	मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर	प्लॉट नम्बर 21	1.2496 हैक्टेयर	1,50,000 टी.पी.ए. (रोम)
13	मैसर्स पवन कटारिया	प्लॉट नम्बर 35	1.2496 हैक्टेयर	77,250 टी.पी.ए. (रोम)

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 05.12.2024 को समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक नवज्योति' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

जनसुनवाई आयोजित किये जाने से पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत गजनेर एवं अन्य स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के समक्ष ज्ञापन दिये गये एवं आक्षेप लगाया गया कि प्रस्तावित खनन क्लस्टर परियोजना में खनन कार्य पूर्व में ही बिना पर्यावरणीय स्वीकृतीके शुरू किया जा चुका है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृतीके सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा गया कि यह जनसुनवाई केवल औपचारिकता मात्र है। जनसुनवाई स्थल पर सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत, गजनेर एवम् उपस्थित अन्य ग्रामीणों द्वारा रोष व्यक्त करते हुए जनसुनवाई का बहिष्कार किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर को जनसुनवाई से पूर्व दिये गये ज्ञापन की प्रतिलिपि क्रमशः **परिशिष्ट "स"** एवं **परिशिष्ट "द"** पर संलग्न है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त खनन क्लस्टर परियोजना खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर द्वारा प्रस्तावित है। यह जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त बजरी क्लस्टर परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स मोडिया मानसर बजरी क्लस्टर परियोजना** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स आर के कन्सलटेन्ट"** को आमंत्रित किया गया।

Rajkumar

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स आर के कन्सलटेन्ट"** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त बजरी क्लस्टर परियोजना **क्लस्टर नम्बर 12–ई, प्लॉट नम्बर 23, 32, 22, 16, 17, 33, 18, 31, 20, 24, 19, 21 एवं 35, निकट ग्राम–मोडिया मानसर, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** हेतु प्रस्तावित है जिसका कुल खनन क्षेत्रफल **16.2448** हेक्टेयर, तथा उत्पादन क्षमता **20,21,195 टी.पी.ए. (रोम)** होगी जिसमें प्लॉट नम्बर 21 हेतु पर्यावरणीय स्वीकृतीपूर्व में जारी की जा चुकी है एवं क्लस्टर के शेष खनन पट्टों की पर्यावरणीय स्वीकृतीहेतु उक्त जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

बजरी क्लस्टर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा आमजन को सबोधित करते हुए कहा गया कि उक्त जनसुनवाई के सम्बन्ध मे सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत गजनेर एवं अन्य ग्रामवासीयों द्वारा कार्यालय में सम्पर्क कर अवगत करवाया गया था कि उक्त जनसुनवाई में वर्णित स्थल पर ग्रामवासियों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है अतः उक्त खनन भूमि ग्रामवासियों को कृषि हेतु उपलब्ध करवाई जाए। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि जिस भूमि पर खनन योग्य मिनरल पाया जाता है उस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। खनन क्षेत्र का नियमानुसार कृषि हेतु नियमन नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि ग्रामवासियों द्वारा यह भी आक्षेप लगाया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना में खनन प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है एवम् बिना पर्यावरणीय स्वीकृती के खनन किया जा रहा है। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रस्तावित क्लस्टर परियोजना में पहले से संचालित खनन ईकाई के विरूद्ध ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायतों का सत्यापन करने हेतु खान एवं भू विज्ञान विभाग को आवश्यक निर्देश प्रदान किये जायेगें। साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को क्षेत्र में स्थित समस्त खनन ईकाईयों से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कानूनी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाने का आश्वासन दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित आमजन को खनन परियोजना के सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव/आपत्तियाँ प्रस्तुत करने हेतु पुनः आमंत्रित किया।

श्री धन्नाराम, निवासी, मोडिया मानसर द्वारा आक्षेप किया गया कि खनन पट्टा धारकों को खनन ईकाई में नियमानुसार काम करने हेतु पाबन्द किया जाये। खनन ईकाई में तारबंदी न होने से खनन के दौरान किये गये खड्डों में गिरने से अनेक बार पशु मर जाते है। साथ ही ओवरलोड वाहनों द्वारा गाँव के रास्तों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। श्री धन्नाराम द्वारा यह भी आक्षेप लगाया गया कि खनन धारकों द्वारा खनन ईकाई में उपयोग हेतु पानी गाँव के तालाब से टैंकर द्वारा ले जाया जाता है। श्री धन्नराम द्वारा खनन ईकाई के संदर्भ में एक ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी महोदय को दिया गया जिसकी प्रतिलिपि **परिशिष्ट "य"** पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित खान एवं भू विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि को खनन ईकाई का निरीक्षण कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

श्री अर्जुनराम, निवासी गजनेर द्वारा हाईटेशन इलेक्ट्रिसिटी लाईन से खनन ईकाई की दूरी के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई जिसके प्रत्युत्तर में खान एवं भू विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हाईटेशन इलेक्ट्रिसिटी लाईन से खनन ईकाई की दूरी कम से कम 45 मीटर होनी चाहिये।

श्री चम्पालाल, निवासी गजनेर द्वारा आक्षेप लगाया गया कि खनन ईकाई के चारो तरफ तारबंदी नहीं किये जाने के कारण खनन के दौरान किये गये खड्डों में गिरने से अनेक पशु मर जाते है। खनन ईकाईयों द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तथा ओवर बर्डन का निस्तारण भी सही तरह से न किया जाकर कहीं भी डाल दिया जाता है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा खनन ईकाई के प्रतिनिधि को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वर्तमान में संचालित खनन ईकाई के चारों तरफ तारबंदी करवाई हुई है एवं प्रस्तावित खनन ईकाईयों के चारो तरफ संचालन से पूर्व तारबंदी करवा ली जायेगी। खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा यह भी कहा गया कि गाँव के विद्यालयों में आवश्यक सहयोग, पीने के पानी की व्यवस्था जैसे अनेकों कार्य समय–समय पर करवाये जाते रहे है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं खान एवं भू विज्ञान विभाग के प्रतिनिधियों को खनन ईकाई के विरूद्व प्राप्त शिकायतों पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

श्री कन्हैयालाल सुथार, निवासी गजनेर द्वारा आक्षेप लगाया कि खनन ईकाईयों द्वारा खनन लीज के अतिरिक्त जमीन पर अवैध खनन कर लिया जाता है एवं तालाबों के पायथन में खुदाई कर देने के कारण बारिश का पानी तालाबों तक नहीं पहुँच पाता है। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा खनन ईकाई के प्रतिनिधि को अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय को अवगत करवाया गया कि ऑवर बर्डन को निर्धारित सीमा में ही निस्तारित किया जा रहा है।

Raj K

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

श्री धन्नाराम, निवासी, मोडिया मानसर द्वारा आक्षेप लगाया गया कि खनन ईकाई के नजदीक स्थित खेतीहर भूमि खनन ईकाई की मिट्टी के कारण बर्बाद हो रही है। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। खान एवं भू विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि श्री रमेश गहलोत द्वारा बताया गया कि उक्त क्लस्टर परियोजना की 12 खनन ईकाईयों में पर्यावरण स्वीकृतीप्राप्त होने के पश्चात् ही खनन प्रावधानों के अनुसार ही खनन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान सरपंच, ग्राम पंचायत गजनेर एवं ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में 3 आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त हुए है जिनकी प्रति कार्यवाही विवरण के साथ उपरोक्तानुसार संलग्न है।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर	([illegible]) उपखण्ड अधिकारी कोलायत बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

प्रस्तावित क्लस्टर परियोजना मैसर्स मोडिया मानसर बजरी क्लस्टर परियोजना, क्लस्टर नम्बर 12–ई, क्लस्टर क्षेत्रफल 16.2448 हैक्टेयर, क्लस्टर उत्पादन क्षमता 20,31,195 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 4, 5, 6, निकट ग्राम–मोडिया मानसर, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जिसमें निम्न खनन परियोजनाए–मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर, प्लॉट नम्बर 23, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,63,995 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स जिग्मा स्टोन क्रशर, प्लॉट नम्बर 32, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,63,995 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर, प्लॉट नम्बर 22, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,63,995 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर, प्लॉट नम्बर 16, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,63,995 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर, प्लॉट नम्बर 17, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,63,995 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर, प्लॉट नम्बर 33, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,63,995 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स मनीष लोहिया, प्लॉट नम्बर 18, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,63,995 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स मनीष लोहिया, प्लॉट नम्बर 31, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,63,995 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स मनीष लोहिया, प्लॉट नम्बर 20, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,63,995 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स कमल किशोर लोहिया, प्लॉट नम्बर 24, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,63,995 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स कमल किशोर लोहिया, प्लॉट नम्बर 19, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,63,995 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स ज़िग्मा स्टोन क्रशर, प्लॉट नम्बर 21, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,50,000 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स पवन कटारिया, प्लॉट नम्बर 35, क्षेत्रफल 1.2496 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 77,250 टी.पी.ए. (रोम) सम्मिलित है की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08.01.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन गजनेर, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर

दिनांकः–08.01.2025 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग / कार्यालय / निवासी	हस्ताक्षर
1.	राजेश कुमार नागर	उपखंड अधिकारी, कोलायत	
2.	Rajkumar Meena	R.O, RSPCB Bikaner	
3.	Ramesh Gehlot	Mining office, Bikaner.	
4.	Giriraj Vyas	AEE, RSPCB, Bik	
5.	[illegible]	Bikaner Mine Owner	
6.	[illegible] शर्मा	[illegible]	

	सीताराम ...	गोव ...	...
8.	सुरेश ...	नागौर	सुरेश
9.	नीलम बिस्सा	जोधपुर	[signature]
10.	मो. शफी	गजनेर	[signature]
11	...	"	...
12.	पुरुषोत्तम	...	[signature]
13.	ओमप्रकाश	बीकानेर	[signature]
14.	सुनील कुमार	भीनासर	[signature]
15.	Sumit Modi	Bikaner	[signature]
16.	Naresh Shen	मानसर	Naresh Kumar
17.	जोगेन्द्र सिंह	मानसर	जोगेन्द्र सिंह
18.	अरविन्द सिंह	मानसर	अरविन्द सिंह
19.	राजूराम	मानसर	राजूराम
20.	...	गजनेर	[signature]
21.	हेमाराम	मानसर	[signature]
22.	Laxman	गजनेर	Laxman ...
23.	... चन्द पारीक	गजनेर	
24.	...	गजनेर	[signature]
25.	...	गजनेर	[signature]
26.	चनाराम	मोडीया मानसर	चनाराम
27.	सोहनलाल	मोडीया मानसर	सोहनलाल
28.	LOKENDRA SINGH	जोधपुर (R.K. Consultant)	[signature]
29.	ANAMIKA	Jodhpur (R.K. Consultants)	Anamika

	Namrata Mathur	R.K. Consultants Jodhpur	[signature]
31.	अर्जुन राम	गाजनेर	अर्जुनराम
32.	कन्हैयालाल सुथार	गाजनेर	[signature]
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			

गीता कुम्हार
सरपंच

कार्यालय ग्राम पंचायत गजनेर

पंचायत समिति श्रीकोलायत (बीकानेर) राज.

मो. 9829615875
9529270005
email : chandarkumhar@gmail.com

क्रमांक

दिनांक 08/01/2025

सेवामें,

श्रीमान् एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,ए209 व 2018
अरण्य भवन महात्मा गांधी रोड झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
जनसुनवाई 08.01.2025 गजनेर

विषयः–ग्राम पंचायत गजनेर में दिनांक 08.01.2025 को मोडिया मानसर में बजरी क्लस्टर परियोजना क्लस्टर नम्बर 12–ई क्लस्टर क्षेत्रफल 16.2448 पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई में आपति के संबंध में ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है ग्राम मोडिया मानसर खसरा 4,5 व 6 में जिन प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जनसुनवाई रखी गई है उन ब्लॉको में वर्तमान में खनन कार्य चालु है क्या पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना खनन कार्य किया जा सकता है अगर किया जा सकता है तो किन नियमों के तहत खनन कार्य किया जा सकता है अगर नही किया जा सकता है तो उक्त ब्लाकों को खारिज किया जाये। और उक्त प्लांटों के खननधारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानुनी कार्यवाही की जावे।

प्रतिलिपि :-
1. क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बीकानेर।

गीता कुम्हार
सरपंच
ग्राम पंचायत गजनेर
पं.स. कोलायत

सेवा मे,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
बीकानेर

महोदय जी,

विषय :— खनन पट्टे की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में ग्रामीणो की ओर से आपति दर्ज करने बाबत् ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम रोही मोडिया माणसार के खसरा नं 4,5,6 कलस्टर परियोजना नं **12 ई कलस्टर क्षेत्रफल 16.24 हैक्टेयर स्टोन क्रशर प्लांट** जिसकी पर्यावरण स्वीकृती को लेकर ग्रम पंचायत गजनेर में जन सुनवाई का आयोजन ग्रामीणो की अनुपस्थिति में हुई सुनवाई व बाहर के लोगो को बैठाकर की गई औपचारिकता जिसको लेकर **पर्यावरण स्वीकृती को लेकर ग्रामीणो की ओर से आपतियां निम्न प्रकार से है**

1. खनन पट्टा धारक द्वारा लीज क्षेत्र के ग्रीन बेल्ट सहित आस पास के क्षेत्र मे किसी भी प्रकार से वृक्षारोपण नही किया जाता है जिसके कारण क्षेत्र मे पर्यावरण प्रदुषण मे लगातार बढोतरी हो रही है ।
2. पट्टाधारक द्वारा खनन करते समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम सहित अन्य अधिनियमो के तहत खनन कार्य नही किया जा रहा है
3. पट्टाधारक द्वारा खनन के दौरान माल को परिवहन करने वाले वाहनो को बिना तिरपाल से माल का परिवहन करते है जिसके कारण परिवहन के समय वाहनो से मिट्टी व धुल के कण हवा मे उडते है जिसके कारण आबादी क्षेत्र से निकलने वाले वाहनो से ग्रामीणो को परेशानी का सामना करना पड़ता है ।
4. खनन लीज क्षेत्र मे काम करने वाले श्रमिको को किसी भी प्रकार से सुरक्षा उपकरण मास्क, सेफटी सुज, हेलमेट आदी सामग्री उपलब्ध नही करवाई जाति है जिसके कारण लगातार श्रमिको के साथ लगातार हादसे होते रहते है ।
5. खनन प्रक्रिया के दौरान वायु को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपायो की पालना नही करते है
   - **A.** सडको पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव नही करते है
   - **B.** धूल उत्सर्जन क्षेत्र मे कार्यरत मजदूरो को डस्ट मास्क उपलब्ध नही करवाये जाते है ।
   - **C.** धूल प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिए पट्टा क्षेत्र के बाहर हरित पट्टिका / वृक्षारोपण विकसित नही किये जाते है ।
   - **D.** वायु की नियमित जांच नही करवाते है ।
   - **E.** ट्रको में ओवरलोडिंग से माल परिवहन करवाते है ।

6- ध्वनि प्रबंधन के नियमो का उल्लघंन

(अ). खनन क्षेत्र मे कार्य के उपयोग मे ली जाने वाली मशीनो का सही तरिके से रख रखाव नही किया जाता है जिसके कारण [illegible] ज्यादा होने के कारण [illegible] के [illegible] बडी मुश्किल [illegible]

11. खनिज क्षेत्र के 10 किमी त्रिज्या क्षेत्र पे वन विभाग , ओरण , गोचर होने के कारण जिव जन्तूओ का आवागमन हमेशा होता रहता है और इससे जिव जन्तुओ को खनन कार्य के दौरान परेशानियो के कारण क्षेत्र से लुप्ट होने जा रहे है

12. खनन क्षेत्र के पास मे नदी नाला , वाटर चेनल्स व जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड मे 90 sq में गंगा सरोवर बांध का पायतन है खनन से कही न कही बहाव क्षेत्र प्रभावित होगा

13. पास में ही गजनेर झील ,कोडमदेसर तालाब, मोडिया माणसर तालाब सहित कई तलाईया है जो कि वो भी खनन के दौरान प्रभावित होने की पुरी संभावना है

14. खनन कार्य के दौरान वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा पर भी कही न कही बुरा प्रभाव पड़ेगा एवं इनकी गुणवता व जांच पर पट्टाधारक ध्यान नही देते है ।

15. खनन क्षेत्र के चारो और किसी भी प्रकार से फेनसिंग और तारबंदी नही लगाई जाती है जिसके कारण पशु गिरने से आये दिन हादसे होते रहते है

16. **जीव जन्तु**

A- खनन पट्टा क्षेत्र के आस पास की भुमी वन , गोचर ओरण होने के कारण यहां जीवो की उपस्थिति बहुत ज्यादा है कुछ ऐसी भी प्रजातियां है जो लुप्तप्राय है इस प्रकार क्षेत्र मे पाये जाने वाले जीवो पर खनन गतिविधी का बहुत बड़ा प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा

निष्कर्ष

उपरोक्त बिंदुओ तथ्यो और आकड़ो को गहराई से देखने से पता चलता है कि पानी की गुणवता , जल विज्ञान , मिट्टी भुविज्ञान , जैव विविधता , वायु गुणवत्ता , पर्यावरण, जोखिम के खतरे , सामाजिक आर्थिक स्थिती , शोर और कंपन्न और ठोस अपशिष्ट उतपादन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

पानी के छिडकाव नही करने से स्त्रोत पर धुल को कम नही किया जा सकेगा ।

शोर वाले स्थान पर श्रमिको को फेस मारक , जूते और ईयर प्लग उपलब्ध नही करवाये जाते है । खनिज का परिवहन ढके हुए तिरपाल से न करके आबादी भूमी से ओवरलोड वाहनो का उपयोग किया जाएगा , खनन पट्टा क्षेत्र मे पियूसी बिना प्रमाणित वाहनो का उपयोग किया जायेगा , व क्षेत्र के लिए वायु गुणवता मॉडलिंग पर ध्यान नही देते है एवं खनन कार्य दिन रात किया जाता है लीज क्षेत्र सहित आस पास वृक्षारोपण पर ध्यान नही दिया जाता है जिसके कारण स्थानिय ग्रामीणो को बड़ी समस्याओं का सामना करना पडता है ।

दिनांक 8/1/2025

बहादुर सिंह
मनमोहन सिंह

प्रार्थीगण
समस्त ग्रामवासी ग्राम पचांयत गजनेर

प्रतिलिपि

1. मुख्य शासन सचिव शासन सचिवालय, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय, जयपुर

दिनांक
7/12/2024

सेवामे ,

श्रीमान थानाधिकारी महोदय

पुलिस थाना गजनेर

विषय :– खान मालिको को नियमानुसार कार्य करने के लिये पाबन्द करने के बाबत ।

उपरोक्त विषय मे निवेदन है गजनेर थाना क्षेत्र के मोडिया मानसर गॉव मे बजरी की खाने है जिसमे से खुदाई का कार्य चल रहा है खान मालिको द्वारा सुरक्षा की कोई व्यवस्था नही किये जाने से आये दिन बजरी निकालने वाले गडडो मे पशुओ के गिरने से मौत हो रही है जिससे ग्रामीणो को आर्थिक नुकसान हो रहा है वही ओवरलोड वाहनो के गुजरने से लिक सड.के क्षतिग्रस्त होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड. रहा है दिनभर गॉव मे वाहनो के गुजरने से आसपास रहने वाले ग्रामीणो को उड.ती धुल से परेशानी हो रही है खान मालिक अपने निजि स्वार्थ के चलते मानसर तालाब से ट्रेक्टर टेकरो से पानी भरवा रहे है जिससे ग्रामीणो सहित आवारा पशुओ,पक्षियो के लिये पेयजल की समस्या बन रही है ग्रामीणो ने कई बार खान मालिको को समझाइश की लेकिन उनके द्वारा कोई सार्थक कार्य नही किया जा रहा है जिससे ग्रामीणो मे भारी रोष व्याप्त है अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्रामीणो की गम्भीर समस्याओ को देखते हुए खान मालिको को नियमानुसार कार्य करने के लिये पाबन्द किया जाये जिससे ग्रामीणो को राहत मिल सके प्रार्थना पत्र श्रीमान जी की सेवा मे प्रस्तुत है

धन्यवाद

दिनेश
चम्पाराम
सुनील
मामदरवा
शिवराम

भवदीय

नथूराम
सुनीता
भवरलाल

दिनांक

समस्त ग्रामवासी मोडिया मानसर

थाना गजनेर

कामल पत्नी
नैमरवा
जमरवा
मनोहरी
लिछमा
रोसनखी
सद्दफरवे
भोमाराम
रेवन्तराम